578

C.W.J.C No.-9494/2016 श्री भरत प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य जो पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन (पटना, सोनपुर, हाजीपुर स्टेशन) को मुख्य पथों से जोड़ने से संबंधित है, में दिनांक–07.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक–28.08.2017 को अपराह्न 05:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.08.2017 को पारित आदेश से मुख्य सचिव एवं उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।

2. प्रधान सचिव द्वारा मुख्य सचिव को पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन तक आवागमन सुगम बनाने हेतु Existing पथों एवं प्रस्तावित पथों से अवगत कराया गया।
3. बेली रोड से पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन (रेलवे लाईन से पूरब) तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम है, जिसका चौड़ीकरण रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर रेलवे से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को इसे शीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।
4. प्रधान सचिव द्वारा पाटलिपुत्रा स्टेशन को आशियाना दीघा रोड से दो Connectivity के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया।

   (i) आशियाना दीघा रोड पर बंधन बैंक से पारस गार्डेन तक नाला एवं पथ निर्माण कार्य के लिए 2.49 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2014 में प्रदान की गयी है, इस कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.04.2018 है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

   (ii) आशियाना नगर सेक्टर–4 से पाटलिपुत्रा स्टेशन तक भूगर्भ नाला एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए 1.79 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–31, दिनांक–25.07.2017 द्वारा प्रदान की गई है। कार्य के लिए निविदा की गई है, निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, दिनांक–28.08.2017 को इसके लिए शामिल निविदाकारों के बीच लौटरी के माध्यम से निर्णय लिया जाना है। बरसात के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा।

   उक्त दोनो पथों से संबंधित कार्यों को शीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

5. आशियाना दीघा पथ से पाटलिपुत्रा स्टेशन के उत्तरी भाग को घुड़दौड़ पथ द्वारा जोड़ने पर विचारण के क्रम में रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि रेलवे स्टेशन से उत्तर पूरब की ओर उपलब्ध भूमि का उपयोग एक अन्य रेलवे ट्रैक एवं Subsidiary use हेतु किये जाने का प्रस्ताव है, अतः इस रेलवे स्टेशन के पूरब से उत्तर दिशा में अधिग्रहित भूमि पर सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति देना संभव नहीं हो सकेगा।
6. रेलवे लाईन एवं नहर के पश्चिम भाग में बेली रोड से दीघा तक बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस पथ से पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन तक Connectivity देने के लिए B.S.R.D.C द्वारा Detailed Scheme तैयार किया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण किया गया। इस कार्य हेतु आवश्यक निर्माण कराये जाने की स्थिति में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर अतिशीघ्र B.S.R.D.C द्वारा DPR तैयार कर पथ निर्माण विभाग अनुमोदन प्राप्त कर ले, ताकि इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुआ।

ह०/–
मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–11/न०वि०/न्या०–25/16 820 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक–6/09.2017

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग –सह– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर/वरीय मंडल अभियन्ता, दानापुर/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

C.W.J.C No.-9494/2016 श्री भरत प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य जो पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन (पटना, सोनपुर, हाजीपुर स्टेशन) को मुख्य पथों से जोड़ने से संबंधित है, में दिनांक–07.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक–28.08.2017 को अपराह्न 05:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.08.2017 को पारित आदेश से मुख्य सचिव एवं उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया।

2. प्रधान सचिव द्वारा मुख्य सचिव को पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन तक आवागमन सुगम बनाने हेतु Existing पथों एवं प्रस्तावित पथों से अवगत कराया गया।
3. बेली रोड से पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन (रेलवे लाईन से पूरब) तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम है, जिसका चौड़ीकरण रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि पर रेलवे से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को इसे शीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।
4. प्रधान सचिव द्वारा पाटलिपुत्रा स्टेशन को आशियाना दीघा रोड से दो Connectivity के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया।

(i) आशियाना दीघा रोड पर बंधन बैंक से पारस गार्डेन तक नाला एवं पथ निर्माण कार्य के लिए 2.49 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वर्ष 2014 में प्रदान की गयी है, इस कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.04.2018 है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ii) आशियाना नगर सेक्टर–4 से पाटलिपुत्रा स्टेशन तक भूगर्भ नाला एवं सड़क निर्माण कार्य के लिए 1.79 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–31, दिनांक–25.07.2017 द्वारा प्रदान की गई है। कार्य के लिए निविदा की गई है, निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, दिनांक–28.08.2017 को इसके लिए शामिल निविदाकारों के बीच लौटरी के माध्यम से निर्णय लिया जाना है। बरसात के बाद इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा।

उक्त दोनो पथों से संबंधित कार्यों को शीघ्र सम्पन्न कराने का निदेश मुख्य सचिव द्वारा दिया गया।

5. आशियाना दीघा पथ से पाटलिपुत्रा स्टेशन के उत्तरी भाग को घुड़दौड़ पथ द्वारा जोड़ने पर विचारण के क्रम में रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि रेलवे स्टेशन से उत्तर पूरब की ओर उपलब्ध भूमि का उपयोग एक अन्य रेलवे ट्रैक एवं Subsidiary use हेतु किये जाने का प्रस्ताव है, अतः इस रेलवे स्टेशन के पूरब से उत्तर दिशा में अधिग्रहित भूमि पर सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति देना संभव नहीं हो सकेगा।
6. रेलवे लाईन एवं नहर के पश्चिम भाग में बेली रोड से दीघा तक बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस पथ से पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन तक Connectivity देने के लिए B.S.R.D.C द्वारा Detailed Scheme तैयार किया गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण किया गया। इस कार्य हेतु आवश्यक निर्माण कराये जाने की स्थिति में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर अतिशीघ्र B.S.R.D.C द्वारा DPR तैयार कर पथ निर्माण विभाग अनुमोदन प्राप्त कर ले, ताकि इस पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुआ।

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।